



कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई

// कार्यवाही विवरण //

दिनांक 20.11.2024 को निगम सभागार में समय 11.00 बजे आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा शासन की विभिन्न योजनाओं एवं विभागीय कार्यों की समीक्षा किया गया एवं आवश्यक निर्देश दिये गये। बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची पार्श्व पृष्ठ में संलग्न है।

1. स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 :-

- 1.1 स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 हेतु स्वच्छता सर्वेक्षण के गाईड लाईन अनुसार सर्व संबंधित अधिकारी/कर्मचारी कार्य करना सुनिश्चित करें। ब्रांड अम्बेसडर नामांकित किये गये व्यक्ति सक्रिय होना चाहिये। स्वच्छता संबंधी बैठक में उपस्थित रहना चाहिये।
- 1.2 स्वच्छता चैम्पियन – स्वच्छता के लिये जनभागीदारी सुनिश्चित किया जाये। प्रत्येक शनिवार को एक योजना तैयार कर जनजागरूकता लाने के लिये जनभागीदारी कार्यक्रम आयोजित किया जाये।
- 1.3 सफाई कार्य की संबंधित जोन के स्वास्थ्य अधिकारी एवं जोन आयुक्त गाईड लाईन के अनुसार कार्य का पर्यवेक्षण करते रहे।
- 1.4 वॉल पेंटिंग – स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 का प्रचार प्रसार वॉल पेंटिंग के लिये योजना (प्लान) बनाकर स्वास्थ्य अधिकारी प्रस्तुत करें।
- 1.5 सिंगल यूज प्लास्टिक – निगम क्षेत्रांतर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के मानक अनुसार नहीं होने पर सिंगल यूज प्लास्टिक विक्रेताओं के विरुद्ध सतत् रूप से जुर्माना लगाने की कार्यवाही किया जाये। की जा रही कार्यवाही की जानकारी निर्धारित प्रारूप में स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रस्तुत की जाये।
- 1.6 निर्माणाधिन स्थानों में ग्रीन नेट लगाये जाने का प्रावधान है। निर्माणकर्ता या एजेंसी के द्वारा जिन स्थानों पर भवन निर्माण कर रहा हो ग्रीन नेट नहीं लगे होने पर कार्यवाही सुनिश्चित किया जायें।

(कार्यवाही:- जोन आयुक्त/स्वास्थ्य अधिकारी/सहायक स्वास्थ्य अधिकारी
/सहायक राजस्व अधिकारी)

2. आयुष्मान कार्ड :- आयुष्मान कार्ड 70⁺ सिटीजन लोगो का तैयार किया जाना है। सभी वार्ड के लिये कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाये और आगामी सप्ताह से प्रगति बढ़ाई जाये। प्रत्येक दिवस कितने आयुष्मान कार्ड बनाये जा रहे है उसकी जानकारी प्रत्येक सोमवार को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की जाये। जोन आयुक्त अपने-अपने जोन की प्रगति की समीक्षा करेंगे।

(कार्यवाही:- सर्व जोन आयुक्त/नोडल अधिकारी NULM)

3. एस.एल.आर.एम. सेंटर के लिये स्थल का चयन किया जाये।

(कार्यवाही:- सर्व जोन आयुक्त/सहायक राजस्व अधिकारी)

कमशः... (2).....

- 3.1. घर-घर से सूखा/गीला कचरा कलेक्शन के लिये लोगो को जागरूक करते हुये सूखा/गीला कचरा अलग-अलग देने के लिये जागरूक करें समझाईस देवें। उसके बाद भी यदि सूखा/गीला कचरा अलग-अलग नहीं देते हैं तो जुर्माना राशि वसूल किया जायें। जुर्माना राशि की जानकारी गुगल शीट में तैयार कर साप्ताहिक रिपोर्ट (प्रत्येक सोमवार) को दिया जाये।

(कार्यवाही:- सर्व जोन आयुक्त/स्वास्थ्य अधिकारी/सर्व जोन सहायक स्वास्थ्य अधिकारी)

4. निदान-1100 :- निदान में प्राप्त शिकायत का निराकरण समय-सीमा में किये जाने की जिम्मेदारी सर्व संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की होगी। यदि स्ट्रीट लाईट नहीं जल रहा है तो उसका संधारण समय पर कराने की जिम्मेदारी सर्व संबंधित उप अभियंता एवं वार्ड नोडल अधिकारी की होगी। पाईप लाईन लिकेज, वॉटर सेम्पल, हैण्डपंप, पावरपंप संधारण का कार्य नियमित रूप से समय पर कराने की जिम्मेदारी उप अभियंता की होगी इसकी समीक्षा संबंधित कार्यपालन अभियंता, जोन आयुक्त करेंगे। पेयजल पाईप लाईन लिकेज का निरीक्षण कर वार्ड के साफ-सफाई में लगे सुपरवाइजर, स्वच्छता निरीक्षक द्वारा संबंधित वार्ड नोडल अधिकारी को प्रति दिवस दिया जाये। वॉटर सेंपल/पाईप लाईन लिकेज/संधारण की जानकारी नियमित रूप से सभी जोन द्वारा अद्यतन की जाती रहे।

(कार्यवाही:- सर्व जोन आयुक्त/कार्यपालन अभियंता/स्वास्थ्य अधिकारी/सर्व विभाग प्रमुख)

5. राजस्व वसूली :- राजस्व बकाया बड़े बकायादारों की सूची सभी जोन आयुक्त को संपत्तिकर विभाग द्वारा प्रेषित किया जावे। संपत्तिकर वसूली की समीक्षा जोन/वार्ड में लगे प्लेसमेंट वसूली कर्मचारी की नियमित रूप से किया जावें और राजस्व वसूली में वृद्धि की जाये। बड़े बकायादारों को नोटिस जारी हो। निर्धारित समयावधि बीत जाने पर कुर्की की कार्यवाही किया जाना चाहिये, कार्यवाही लंबित नहीं रखे जाये।

(कार्यवाही:- सर्व जोन आयुक्त/राजस्व अधिकारी/सहायक राजस्व अधिकारी/संपत्तिकर अधिकारी)

6. न्यायालयीन प्रकरण :- नगर पालिक निगम भिलाई से संबंधित जितने भी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया हो, जिसका पालन समय-सीमा में किया जाना है, ऐसे प्रकरणों की सूची तैयार कर प्रस्तुत किया जाये एवं प्रकरण की वर्तमान स्थिति से अवगत कराई जाये। किसी भी न्यायालयीन प्रकरण में सर्व संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का दायित्व है कि निगम के हित के लिये समर्पित होकर कार्य करें।

(कार्यवाही:- सर्व जोन आयुक्त/विभाग प्रमुख/सर्व अधिकारी, कर्मचारी)

7. तालाबों की नीलामी :- निगम क्षेत्र में कुल कितने तालाब है, कितने तालाबों की मछलीपालन के लिये नीलामी किया गया है, कितने तालाब शेष है। जोनवार तालाबों की सूची प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही:- राजस्व अधिकारी)